

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 378]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई 2022—आषाढ़ 28, शक 1944

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2022

क्र. एफ 49-1-रास-यू.ए.-5-2016.—राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी ने अधिनियम की धारा 27(2) (दस) के तहत Dr. Amresh Chandra, Director, ICAR-Indian Grassland & Fodder Research Institute, Near Pahuj Dam, Gwalior Road, Jhasi, U.P. को विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का नामनिर्दिष्ट सदस्य मनोनीत किया गया है.

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमार जैन, राज्यपाल के उपसचिव.